बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना

(DEPT. OF HR & ADMINISTRATION)
(Regd. Office:- Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
Contact No.: 7763817975,7763818077, email-dgmhr1015.bsptcl@gmail.com, website-www.bsptcl.in
TIN VAT NO-10011257007, TIN CST NO-10011146136, CIN- U74110BR202SGC018889

पत्रांक- T-I/Alleg./CE-41005/2023 पटना, दिनांक-

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
उप सचिव

सेवा में,

श्री ब्रजेश कुमार,
महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता,
संचरण जोन, भागलपुर।

विषय- आपके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 26.12.2023 पर सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 26.12.2023 पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक 19.04.2024 को सुनवाई की गई। उक्त प्रसंग में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय/आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनु.- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,
ह./-
(अरुण कुमार सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक ..... पटना/ दिनांक.....

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-
(अरुण कुमार सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक ...1189..... पटना/ दिनांक.06/05/2024

प्रतिलिपि:- निदेशक (परिचालन)/निदेशक (परियोजना)/सभी मुख्य अभियंता/सभी महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/उपमहाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/उप सचिव/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/सभी अवर सचिव/DBA/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/उप विधि परामर्शी/सभी सहायक कार्यपालक अभियंता/प्रशासी पदाधिकारी (ERP)/सभी लेखा पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटन को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अनुलग्नक संलग्न करते हुए DBA से अनुरोध है कि इसे कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अनु.- यथोक्त।

6/5/24
(अरुण कुमार सिंह)
उप सचिव

आदेश

श्री ब्रजेश कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना सम्प्रति महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता (प्रभारी), संचरण जोन, भागलपुर को बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के संकल्प संख्या 3023 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक 19.04.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई की गयी।

माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर विषय पर एन०पी०टी०आई०, बदरपुर, नई दिल्ली में दिनांक 28.03.2022 से 08.04.2022 तक प्रशिक्षण हेतु 10 अभियंताओं के दल को भेजा गया था जिसमें अपीलार्थी के साथ–साथ श्रीमती प्रीति कुमारी, सहायक कार्यपालक अभियंता, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड भी सम्मिलित थीं। श्रीमती प्रीति कुमारी द्वारा प्रशिक्षण के दौरान श्री ब्रजेश कुमार के विरूद्ध यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए परिवाद दिनांक 11.04.2022 को बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के स्तर पर गठित महिला शिकायत निवारण समिति को समर्पित किया गया। समिति द्वारा मामले के जांचोपरान्त पत्रांक 394 दिनांक 09.06.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें समिति द्वारा प्रशिक्षण के दौरान श्रीमती कुमारी के साथ अवांछनीय व्यवहार, लैंगिक उत्पीड़न का प्रयास करने के लिए श्री ब्रजेश कुमार, विद्युत अधीक्षण अभियंता को दोषी माना गया। प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा एवं सम्यक विचारोपरान्त बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के पत्रांक 1530 दिनांक 04.07.2023 द्वारा श्री कुमार को कारण पृच्छा निर्गत की गई। श्री कुमार द्वारा समर्पित उत्तर की सम्यक समीक्षा के उपरांत अविचारणीय पाते हुए संकल्प संख्या 3023 दिनांक 14.12.2023 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति अधिरोपित की गई।

अपने अपील अभ्यावेदन एवं सुनवाई के क्रम में श्री कुमार द्वारा मुख्यतः निम्न तथ्यों को अपील विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया :–

1. समिति द्वारा जांच के क्रम में न तो निर्धारित प्रक्रिया को पालन किया गया न ही साक्ष्य एवं साक्ष्यों के तथ्यात्मक पहलू पर विचार किया गया।
2. महिला यौन उत्पीड़न समिति द्वारा निर्धारित नियमों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो आदि का पालन नहीं किया गया।
3. परिवादी द्वारा निदेशक (तकनीकी) को प्रेषित एस०एम०एस० में घटना की तिथि 07.04.2022 उल्लेखित किया गया परन्तु परिवाद में घटना की तिथि 06.04.2022 उल्लेखित है, जो विरोधाभाषी एवं काल्पनिक घटना होने के साक्ष्य हैं।

4. पूर्व में उनके द्वारा पत्रांक 241 दिनांक 04.08.2023 एवं पत्रांक 314 दिनांक 21.10.2023 के द्वारा कारण पृच्छा के रूप में विस्तृत तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

5. उनके विरूद्ध अधिरोपित शास्ति पर अनुमोदन प्राप्त करने के क्रम में वरीय एवं वरीयतम पदाधिकारी के समक्ष पूरे तथ्यों को उपस्थापित नहीं किया गया है।

उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा यह कहा जाना कि समिति द्वारा जांच क्रम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तथ्यों/अभिलेखों के आधार पर विचारणीय नहीं है। समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जांच क्रम में समिति द्वारा नियमानुसार परिवादिनी के साथ–साथ अपीलार्थी का बयान अभिलिखित किया गया। समिति द्वारा घटना से संबंधित अन्य व्यक्तियों का भी बयान अभिलिखित किया गया है। इसके साथ–साथ समिति द्वारा अपीलार्थी की ओर से नामित गवाह का बयान भी अभिलिखित कर सभी तथ्यों पर सम्यकरूपेण गंभीरता से विचार करते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा अग्रतर यह कहा जाना कि समिति द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का पालन नहीं किया गया है, तथ्यों के आधार पर युक्तिसंगत नहीं है। जांच के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अनेकों अवसर पर यथा–दिनांक 08.06.2022, 24.06.2022, 01.07.2022, 20.07.2022 को अपना बयान समिति के समक्ष दिया गया, जो यह स्पष्ट करता है कि समिति द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा अपने बचाव का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

परिवादिनी द्वारा दिनांक 11.04.2022 को महिला यौन उत्पीड़न समिति के अध्यक्ष को समर्पित अपने परिवाद में घटना की तिथि 06.04.2022 उल्लेखित किया गया है जिसकी पुष्टि उनके द्वारा समिति के समक्ष दिये गये अपने बयान में भी की गई है। एस०एम०एस० में घटना की तिथि 07.04.2022 अंकित होने के फलस्वरूप मात्र इस आधार पर इस घटना को काल्पनिक नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा पत्रांक 241 दिनांक 04.08.2023 एवं पत्रांक 314 दिनांक 21.10.2023 के द्वारा जिन तथ्यों को प्रस्तुत किया गया था उन तथ्यों की विस्तृत एवं गहन समीक्षा करने के उपरांत ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के आधार पर शास्ति अधिरोपित की गई है। पुनः उन्हीं तथ्यों पर विचार करना औचित्यहीन है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत युक्ति की शास्ति पर अनुमोदन प्राप्त करने के क्रम में वरीय पदाधिकारियों के समक्ष पूरे तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया गया, तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर

विचारणीय नहीं है। संबंधित संचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुशासनिक प्राधिकार के समक्ष यौन उत्पीड़न समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के साथ–साथ इस क्रम में अपीलार्थी द्वारा समर्पित सभी तथ्यों को विस्तृत रूप से विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिन पर सम्यकरूपेण विचार करने के उपरांत ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए शास्ति अधिरोपित की गई। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में अपना बचाव मात्र तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर किया गया है। उनके द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में ऐसा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो प्रश्नगत मामले में उनकी निर्दोषिता को स्थापित करने में सहायक हो सके।

अपीलीय प्राधिकार के रूप में मेरा स्पष्ट अभिमत है कि अपीलार्थी अपने अपील अभ्यावेदन एवं सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर इस तथ्य/आरोप को अप्रमाणित करने में विफल रहें कि प्रश्नगत मामले में उनका आचरण लोक सेवक के रूप में अपेक्षित आचरण के प्रतिकूल था। समाज में जिस प्रकार के परिवेश में एक महिलाकर्मी को कार्य करना पड़ता है, उसमें प्रत्येक कर्मी का यह दायित्व बनता है कि वह एक ऐसा वातावरण बनाने में सहयोग करे जिसमें महिला प्रतिष्ठा के साथ निर्भीक होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके जिसमें वे विफल रहें। यद्यपि प्रमाणित आरोपों के लिए अपीलार्थी को संकल्प संख्या 3023 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अधिरोपित शास्ति को अप्रत्यानुपातिक पाते हुए निम्नांकित रूप से संशोधित किया जाता है :–

1. दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के संकल्प संख्या 3023 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध श्री ब्रजेश कुमार, महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता (प्रभारी), संचरण जोन, भागलपुर द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन निष्पादित किया जाता है।

29/4/24

(संजीव हंस)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

Page 3 of 3